

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक:- 2514/12-1 : दिनांक: पौड़ी, मार्च 18, 2020

सेवा में,

अभिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरी (गढ़वाल)

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल विकासखण्ड-बीरौल्ला के अन्तर्गत मोरो बैण्ड से धोबीघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०- 73/x-3-20/1(08)/2020 दिनांक 03-02-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०- 73/x-3-20/1(08)/2020 दिनांक 03-02-2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-क-972/3-5-2, दिनांक 21.11.2017 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 की निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- रोड साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण-

आरक्षित वन भूमि की लम्बाई	-	0.000 कि०मी०
वन पंचायत भूमि की लम्बाई	-	0.000 कि०मी०
सिविल सोयम वन भूमि की लम्बाई	-	1.100 कि०मी०
मोटर मार्ग की कुल लम्बाई	-	1.100 कि०मी०

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की दर प्रति कि०मी० = ₹ 4,59,610.00

मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि- ₹ 1.100 कि०मी० X 5,05,571.00
(₹ पांच लाख पांच हजार पांच सौ इकहत्तर) मात्र

2- एन0पी0वी0 की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.2
एन0पी0वी0 की दर प्रति हे०	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.99 हे०
एन0पी0वी0 की धनराशि	-	0.99 X 6,57,000.00

= ₹ 6,50,430.00

(₹ छः लाख पचास हजार चार सौ तीस) मात्र

क्रमशः : 2 पर

(2)

अतः उपरोक्तानुसार डिमाण्ड नोट आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

(सन्तराम)
प्रमाणीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक

दिनांकित

- 1-प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(सन्तराम)
प्रमाणीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

o/c